न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1779/PBR/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.1992 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग,सागर – प्रकरण क्रमांक 520 अ–68/1990–91 अपील

1– जगदीश प्रसाद पुत्र विश्वनाथ
2– रामस्वरूप पुत्र ध्यानी
ग्राम जैरोन तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ----- अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एए0के0अवस्थी)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक ९ – ९ – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 520 अ–68/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.03.1992 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम जेरोन खालसा ने नायव तहसीलदार पृथ्वीपुर को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कि कि आवेदकगण ने ग्राम जेरोल खालसा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 168/1 रकबा 4.670 के 30 x60 वर्गफुट भूमि पर फर्सी

पत्थर लगाकर अतिक्रमण कर लिया है – कार्यवाही की जावे। नायव तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्र.क्र. 840 अ 68/1987–88 पंजीबद्ध किया तथा अतिक्रमणकर्ता आवेदकगण को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया। नायव तहसीलदार पृथ्वीपुर ने शासन पक्ष एंव बचाव पक्ष की साक्ष्यांकित की, जिस पर आवेदक ने भूमि कई वर्षो पूर्व क्रय करना बताया, किन्तु पुष्टिकरण न होने से एंव ग्रामीणों व्दारा भूमि निस्तारी होना बताना प्रमाणित पाये जाने पर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31.07.1990 पारित किया तथा आवेदक पर अतिक्रमण करना सिद्व हाने से रू. 1000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 85/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.8.1991 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 520/अ–68/1990–91 अपील में पारित आदेश दि. 25.3.1992 से अपील मेमो में पक्षकारों का असंयोजन होने के कारण व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 01 नियम 9 के अंतर्गत अपील चलने योग्य न होने से निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी हें।

3/ उभय पक्ष क अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि शासकीय अभिलेख में ग्राम जेरोल खालसा स्थित भूमि सर्वे कमांक 168/1 रकबा 4.670 आबादी भूमि शासकीय दर्ज है जो

मध्य प्रदेश शासन के स्वत्व एंव स्वामित्वाधीन है। इसी भूमि के 30 X 60 वर्गफुट भू भाग पर फर्सी पत्थर लगाकर आवेदकगण व्दारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी ने नायव तहसीलदार को प्रस्तुत की हैं , जिस पर से नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 1.10.87 जारी किया है जो आवेदकगण पर दिनांक 21.10.87 को निर्वाहित हुआ है। इसी दिन आवेदकगण ने बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया है। दिनांक 18-11-87 को ग्रामीणों व्दारा संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन देकर नायव तहसीलदार को बताया है कि इसी भूमि से लगा हुआ भगवान रामराजा का मंदिर है एंव मंदिर जाने के लिये समस्त ग्रामवासियों का रास्ता है एंव फर्शी लगाकर अतिक्रमण करने से आमरास्ता यानि मंदिर आने जाने का रास्ता बंद हो गया हैं । नायव तहसीलदार ने अतिक्रमण के सम्बन्ध ग्रामीण रामदास पुत्र मुन्नालाल ब्राहमण आयु 70 वर्ष के, गटोले दर्जी आयु 65 वर्ष के कथन लिपिबद्ध किये हैं, जिन पर आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण का भी मौका मिला है। नायव तहसीलदार ने हलका पटवारी के भी कथन लिये है जिसमें पटवारी ने व्यक्त किया है कि उसके व्दारा भूमि का सीमांकन कर भूमि चिन्हित की है। पटवारी के कथनों पर भी आवेदकगण व्दारा प्रतिपरीक्षण किया है किन्तु आवेदकगण यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि वादग्रस्त भूमि शासकीय नहीं है अपितु उनकी भूमि है । नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर भी दिया है जिसके कारण नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 31.7.90 में दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने प्रकरण क्रमांक 85/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.8.1991 से अपील निरस्त की

है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपील को प्रचलन योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 320 अ-68/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.03.1992 स्थिर रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर